09/10/020
II

Labour Welfare and Social Security in India (Part-B)

Objectives of Labour Welfare Works:-

श्रम कल्याण कार्यों का प्रमुख उद्देश्य श्रमिक को वेतन एवं व्यवसाय में कार्य की दशाओं में सुविधाओं के अतिरिक्त उसको अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक लाभ पहुँचाना होता है।

श्रम कल्याण कार्यों के लक्ष्यों को मुख्यतया तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

(i) मानवीय दृष्टि से कल्याण कार्य,

(ii) श्रमिकों में नागरिकता की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से किये गए कल्याण-कार्य।

Importance of Labour welfare works:

आज के औद्योगिक युग में जहाँ एक ओर मशीनों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वहाँ श्रम के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। जहाँ एक ओर श्रमिकों की कार्यक्षमता बहुत कुछ मशीनों की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है वहाँ यह भी माना गया है कि मशीनों की कार्यक्षमता भी श्रेष्ठ एवं कुशल श्रमिकों पर आश्रित होती है। श्रमिकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले अनेक

तत्व हैं; जैसे! - श्रमिक के कार्य करने की दशायें, उपलब्ध खाद्य - सामग्री, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन आदि। शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि कल्याण कार्यों का कारखानों के वातावरण पर बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ता है जो औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में काफी सहायक होता है।

श्रम कल्याण कार्य की उचित व्यवस्था से श्रमिक यह अनुभव करने लगते हैं कि वे उद्योग के एक अंग है। अत: वे संस्था के विकास में विशेष रुचि लेने लगते हैं उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि की भावना से सेवायोजकों को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से सुन्दर आवास व्यवस्था, जलपान गृह, चिकित्सा व्यवस्था, आदि कल्याण कार्य श्रमिकों में यह भावना उत्पन्न करेंगे कि उनका भी उद्योग के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और इस प्रकार से अनुपस्थितता और श्रम परिवर्तन में काफी कमी हो जाती हैं और इसके साथ ही साथ श्रमिकों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है।

~~श्रमिक की~~ कार्यक्षमता का उन्नत स्तर केवल वहीं हो सकता है जहाँ शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि से सन्तुष्ट हो तात्पर्य यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल

दी सकते है जिनके शिक्षा, आवास, भोजन तथा वस्त्रादि का उचित प्रबन्ध हो।

ऐच्छिक कल्याण कार्य :→

ऐच्छिक श्रम कल्याण कार्य के अन्तर्गत वे कार्य आते है जो कि सेवायोजक अपने श्रमिको के लिये प्रतिपादित करते है। यह केवल श्रमिको की कार्यक्षमता मे वृद्धि नही करता, अपितु संघर्ष उत्पन्न होने की संम्भावना को भी बहुत कम कर देता है। वाई. एम. सी. ए. विशेषतया उल्लेखनीय है।

बैधानिक कल्याण कार्य :→

बैधानिक कल्याण कार्य के अन्तर्गत वे कार्य सम्मिलित किये जाते है जिनके लिये सरकार को विधान बनाना पड़ता है। श्रमिको की सुरक्षा एंव उनके स्वास्थ्य स्तर को स्थिर रखने के लिये सरकार कुछ कानून बनाती है जिनका कि सेवायोजकों को पालन करना पड़ता है।

पारस्परिक श्रम कल्याण कार्य :—

श्रमिको द्वारा किये गये वे कार्य जो परस्पर सहयोग से अपने कल्याण हेतु किये जाते है। दृष्टि से श्रमिक संघ मे महत्वपूर्ण योग प्रदान करते है।

श्रम कल्याण कार्यो का अन्य ढंग से भी वर्गीकरण किया जा सकता है —

(1) आन्तरिक कल्याण कार्य।
(2) बाह्य कल्याण कार्य।

Scanned with CamScanner

आन्तरिक कल्याण कार्य : →
इसके अन्तर्गत वे सभी कल्याण कार्य सम्मिलित किये जाते है जो कि श्रमिको को कारखाने के अन्दर सुविधापूर्वक प्राप्त होते है
जैसे : →
(i) औद्योगिक थकावट को दूर करने की व्यवस्था आराम - विश्राम गृह, संगीत आदि ।
(ii) सर्वसाधारण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाये, स्वच्छता, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था जलपान-गृह आदि ।
(iii) श्रमिको की सुरक्षा सम्बन्धित कार्य ।
(iv) वैज्ञानिक भर्ती प्रणाली ।
(v) औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
बाह्य कल्याण कार्य : → इसके अन्तर्गत वे सभी कार्य सम्मिलित किये जाते है जो कि श्रमिको को कारखाने के बाहर सुविधापूर्वक प्राप्त होते है, जैसे : →
(i) श्रमिको की शिक्षा का प्रबन्ध,
(ii) उत्तम आवास
(iii) चिकित्सा की सुविधा
(iv) मनोरंजन की सुविधा,
(v) सस्ते एवं उत्तम भोजन की व्यवस्था
(vi) मितव्ययता को प्रोत्साहन आदि
कल्याण - कार्य मे लगाया धन विनियोग है, व्यय नही : →
उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि श्रम कल्याण कार्य मे लगाया गया धन

Scanned with CamScanner

वास्तव में कुछ विनियोग है व्यय नहीं है।
कल्याण कार्य की कोई भी योजना यदि वह पूर्ण निश्चित एवं पूर्णतया नियोजित है तो उसके फलस्वरूप सेवायोजकों को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा।
यदि किसी कानून के अन्तर्गत सेवायोजक अपने श्रमिकों के लिये कुछ कार्य करते हैं।
जैसे :→
कारखाना अधिनियम के आदेशानुसार स्वच्छता, वायु, प्रकाश, कैंटीन, शिशु सदन आदि की व्यवस्था करना आदि इन्हें हम कल्याण कार्य न कहेंगे।
ये तो वैधानिक कल्याण-कार्य हैं।
इसके विपरीत, यदि सेवायोजक स्वत: अपनी प्रेरणा से श्रमिकों के लाभार्थ कोई व्यवस्था करे अथवा सुविधायें प्रदान करे तो यह कल्याण कार्य कहलायेगा।
औद्योगिक कल्याण कार्यों का उद्देश्य श्रमिक के वेतन व कार्य के घण्टों की सुविधाओं के अतिरिक्त उसे अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक लाभ पहुँचाना भी है।
श्रम के शाही आयोग ने श्रमिकों के लिये किये गये कल्याण कार्यों को बुद्धिमतापूर्ण लागत माना है जिसका प्रतिफल श्रमिकों की बढ़ी हुई कार्य-क्षमता के रूप में प्राप्त होता है।

Scanned with CamScanner